विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 6 जनवरी, 2017 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 74वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की चौहत्तरवीं (74वीं) बैठक सुश्री रीता तेवतिया, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 6 जनवरी, 2017 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची (अनुबंध 1) के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 74.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (11 प्रस्ताव)

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) गोपालपुर, गंजम जिला, उड़ीसा में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 दिसंबर, 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 17 दिसंबर, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) ग्राम गाँव बेहरामपुर, बालोला और बाँधवारी, तहसील सोहना, गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जनवरी, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जनवरी, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) सेवाह गांव, जीटी रोड, जिला पानीपत, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 23 फरवरी, 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मित्तल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा यह निर्देश दिया कि विकास आयुक्त, एनएसईजेड विकासक को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करें और विलंब के विशिष्ट कारणों का पता लगाएं। इसके बाद विकास आयुक्त, एनएसईजेड अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ समर्थक दस्तावेजों के साथ एसईजेड में सारवान विकास के ब्यौरों के साथ अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेंगे।

(iv) प्लाट नंबर 20, ग्राम मुप्पीरेड्डीपल्ली, टूप्रण मंडल, जिला मेडक, तेलंगाना में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 4 जनवरी, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स रेडिएंट कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 मार्च, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

(v) इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 28 फरवरी, 2017 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 28 फरवरी, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

(vi) एड्डुर एलावुर गांव, गुम्मिदिपोन्दी तालुक, तिरूवल्लूर जिला, तमिलनाडु में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 नवंबर, 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स फ्रंटियर लाइफटाइम प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 27 नवंबर, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

(vii) चोलंकुरिनी गांव, मदुरै तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स रूद्रदेव टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 31 जुलाई, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड के अनुरोध पर मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के 2 एसईजेड के संबंध में औपचारिक अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्तावों के संबंध में एजेंडा मद संख्या 74.1 (viii) और 74.1 (ix) के साथ 5 एसईजेड के विलय के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के प्रस्ताव के संबंध में एजेंडा संख्या 74.6 (vii) को भी लिया गया।

74.6 (vii) ग्राम कलवारा, झाई भंभोरिया, बगरू खुर्द और नेवता, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित अपने 5 एसईजेड (आईटी / आईटीईएस एसईजेड, इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योग एसईजेड, हस्तशिल्प एसईजेड, रत्न एवं आभूषण एसईजेड तथा साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर विनिर्माण सहित आईटी / आईटीईएस एसईजेड) के एक बहु उत्पाद एसईजेड में विलय के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का प्रस्ताव

सूचित किया गया कि विकासक ने मूलत: 2500 एकड़ के क्षेत्रफल में एकल एकीकृत एसईजेड के लिए 2006 में आवेदन किया था (रीको द्वारा उपलब्ध कराया गया राजस्थान का पत्र संलग्न है)। तथापि, चूंकि उस समय ऐसे एसईजेड के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 1000 हेक्टेयर (2500 एकड़) थी और यह विकासक के कब्जे में नहीं थी इसलिए वे इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सके और इसलिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए आवेदन किया। तथापि, 2013 में बहु उत्पाद एसईजेड के लिए भूमि की आवश्यकता को घटाकर 500 हेक्टेयर कर दिया गया है। 5 एसईजेड की भूमि का कुल क्षेत्रफल 604.5836 हेक्टेयर है। इसलिए विकासक ने इन क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का मूलत: परिकल्पना के अनुसार एक बहु उत्पाद एसईजेड में विलय करने का प्रस्ताव किया है। पाया गया कि इस समय तीन एसईजेड क्रियाशील हैं। इसे ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड नियमावली

2006 के नियम 5 (2) (घ) के तहत प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा अनुमोदन बोर्ड ने विकासक को वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 27 दिनांक 18 अगस्त 2009 में निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए विलयित एसईजेड में सन्निकटता स्थापित करने का निदेश दिया।

74.1. (viii) ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर विनिर्माण शामिल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 3 जनवरी, 2017 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 2 जनवरी, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ix) ग्राम भाम्भोरिया, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 1 फरवरी, 2017 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 31 जनवरी, 2018 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(x) जुईनगर, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 31 दिसंबर, 2016 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स न्यूफाउंड प्रापर्टीज एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 30 जून, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xi) दीमापुर, नागालैंड में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 11 अक्टूबर, 2016 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नागालैंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि विकासक को यह बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि अग्रेतर विस्तार क्यों नहीं प्रदान किया गया और 6 विस्तार के बावजूद अभी तक एसईजेड क्रियाशील क्यों नहीं हुआ है। अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एफएसईजेड को एसईजेड का भौतिक निरीक्षण करने तथा विकासक द्वारा अब तक किए गए निवेश के ब्यौरे का सुनिश्चय करने का भी निदेश दिया।

मद संख्या 74.2 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 27 अक्टूबर, 2016 के बाद उनके एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जी मेटल्स कंपनी जो प्लाट नंबर 98 पर एनएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 27 अक्टूबर, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) 2 सितंबर, 2016 **के बाद अनुमति पत्र** (एलओपी) **की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पिंकसिटी ज्वेल हाउस प्राइवेट लिमिटेड जो सीतापुरा, जयपुर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 2 सितंबर, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) 13 दिसंबर 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एमनियल ऑंकोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो पोलोपल्ली गांव, जड़चेरला मंडल, महबूब नगर जिला, तेलंगाना में टीएसआईआईसी लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 13 दिसंबर, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 74.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध (1 प्रस्ताव)

(i) मैसर्स एएमआरएल हाइटेक सिटी लिमिटेड द्वारा नंगूनेरी, तिरुनेवेली जिला, तमिलनाडु में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंडिया पावर कॉर्पोरेशन (बिहार) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में तथा एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन एसईजेड के अंदर विद्युत वितरण नेटवर्क के विकास तथा विद्युत वितरण से संबंधित अन्य आनुषंगिक सहायता प्रदान करने के लिए मैसर्स इंडिया पावर कार्पोरेशन (बिहार) प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि एसईजेड के बाहर किए गए किसी विकास के लिए कोई ड्यूटी लाभ उपलब्ध नहीं होगा तथा यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

मद संख्या 74.4 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए (6 प्रस्ताव)

(i) ग्राम कसूरड़ी, गुंजल मवाल, तालुक भोर, पुणे, महाराष्ट्र में 58.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स वर्ल्डवाइड ऑयल फील्ड मशीन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम कसूरड़ी, गुंजल मवाल, तालुक भोर, पुणे, महाराष्ट्र में 58.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।

(ii) आउटर रिंग रोड, राचनहल्ली गांव, बंगलौर, कर्नाटक में 2.5906 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने आउटर रिंग रोड, राचनहल्ली गांव, बंगलौर, कर्नाटक में 2.5906 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(iii) एलएंडटी कैंपस, बेल्लारी रोड, ब्यातरायणपुरा, जीकेवीके के बाद, बंगलौर, कर्नाटक में 2.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एलएंडटी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (रियल्टी डिवीजन) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया क्योंकि राज्य सरकार की सिफारिश उपलब्ध नहीं थी।

(iv) पुराना नंबर 111 / नया नंबर 162, माउंट पूनामाले हाई रोड, पोरुर, चेन्नई, तमिलनाडु में 2.49 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स हॉरिजनव्यू प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स आरपीआईएल सिंगलिंग सिस्टम्स लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया क्योंकि राज्य सरकार की सिफारिश के बगैर विकासक द्वारा सीधे अनुमोदन बोर्ड को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। विकासक को राज्य सरकार की सिफारिश के साथ विकास आयुक्त, एमईपीजेड को प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

(v) सर्वे नंबर 115/35, नानक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 2.02 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 115 / 35, ग्राम ननाक्रामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 2.02 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(vi) सर्वे नंबर 203 भाग, माणिकोंडा जागीर गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 2.02 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 203 भाग, माणिकोंडा जागीर गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 2.02 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 74.5 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन (3 प्रस्ताव)

(i) निम्नलिखित यूनिटों की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए वीएसईजेड के अधीन मैसर्स यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इनफार्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सनड्यू प्रापर्टी लिमिटेड में 8 जनवरी 2010 को यूनिट 1 को एलओपी प्रदान किया गया था

मैसर्स फिनिक्स इनफोसिटी प्राइवेट लिमिटेड में 16 फरवरी 2012 को यूनिट 2 को एलओपी प्रदान किया गया था

मैसर्स सनड्यू प्रापर्टी लिमिटेड में 26 सितंबर 2014 को यूनिट 3 को एलओपी प्रदान किया गया था

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त यूनिटों की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(ii) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंफार्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो सीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii) यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii) यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii) इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

(i) निम्नलिखित यूनिटों की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए एनएसईजेड के अधीन मैसर्स यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इनफार्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड में 2 मई 2012 को यूनिट 1 को एलओपी प्रदान किया गया था

मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड में 21 सितंबर 2015 को यूनिट 2 को एलओपी प्रदान किया गया था

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त यूनिटों की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

i. यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

ii. यूनिट की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

iii. राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

iv. इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

v. कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

vi. आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

vii. यूनिट अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

viii. इस बीच, ऐसे लेनदेन पर स्पष्टता लाने के लिए एसईजेड प्रभाग द्वारा एसईजेड नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

मद संख्या 74.6 : विविध मामले (7 मामले)

(i) मटोडा, सानंद, अहमदाबाद में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की जैव प्रौद्योगिकी में सेक्टोरल ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स जायडस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(ii) अपने मौजूदा एलओए में निर्यात के लिए चावल के प्रसंस्करण की गतिविधि के लिए मैसर्स श्री लाल महल लिमिटेड, कांडला एसईजेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

(iii) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एक्वस एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड जो बेलगाम, कर्नाटक में प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि प्रशिक्षण केन्द्र एक्वस एसईजेड में केवल एसईजेड यूनिटों के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

(iv) 100 प्रतिशत निर्यात के लिए आयातित रॉ शुगर के भंडारण के लिए अपने मौजूदा एलओए में अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स मिलक वेयरहाउस, कांडाला एसईजेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

(v) एआरई 1 फार्म के विरुद्ध ड्यूटी के भुगतान के बगैर आईटीसी लिमिटेड से सिगरेट के प्रापण तथा ड्यूटी फ्री शॉप बांडेड वेयरहाउस और विदेशी वेजल को आपूर्ति के लिए मैसर्स ए वन ड्यूटी फ्री प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा यह निर्देश दिया कि एसईजेड में ट्रेडिंग की गतिविधियों तथा संवेदनशील मदों में ट्रेडिंग पर नीति की विस्तार से जांच की जाए।

(vi) फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स मैथन एलॉय लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम अंजनेय एलॉय लिमिटेड था) जो अच्युतपुरम, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में एपीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 74.7 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील (एक प्रस्ताव)

(i) यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स सन्नी व्यू एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जो मोहाली, पंजाब में क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड का सह विकासक है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने कहा कि 30 मार्च 2016 को आयोजित बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड का निर्णय विद्युत दिशानिर्देश दिनांक 16 फरवरी 2016 के अनुरूप है और इसलिए यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय में दखल देने का कोई कारण नहीं है।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 74.8 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (एक प्रस्ताव)

(i) महादेवपुरा और कग्गाडासपुरा, केआर पुरम, हवाइटफील्ड, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2016 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 2 जुलाई, 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 74.9 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (एक प्रस्ताव)

(i) 30 सितंबर, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हैंगर्स प्लस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के अपैरल एवं फैशन असेसरीज एसईजेड, की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 30 जून, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 74.10 : सह विकासक के लिए अनुरोध (2 प्रस्ताव)

(i) राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 3, हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पेश इंफ्रा बिल्डर्स एलएलपी का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवनों तथा संबद्ध अवसंरचना के निर्माण, आईटी / आईटीईएस यूनिट के लिए स्थान के विकास तथा डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए 14000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल के लिए मैसर्स ग्लोम्ड डवपलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(ii) आउटर रिंग रोड, नगवारा गांव, बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स सल्टायर डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में भवनों तथा एसईजेड के संपूर्ण क्षेत्रफल में अन्य

अवसंरचना / सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 74.11 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए (एक प्रस्ताव)

(i) एलएंडटी पार्क एसईजेड, प्लाट नंबर 2, एलएंडटी कैंपस, बेल्लारी रोड, ब्यातरायणपुरा, जीकेवीके के बाद, बंगलौर, कर्नाटक में 4.95 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एलएंडटी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (रियल्टी डिवीजन) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया क्योंकि राज्य सरकार की सिफारिश उपलब्ध नहीं थी।

सारणी एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 74.12 : विविध मामले

(i) आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए पहले से अनुमोदित क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड जो सर्वे नंबर 39, पुराना टीबी अस्पताल क्षेत्र, विशाखापट्टनम में एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

****